संख्या-115/2017/2013/पॉच-6-2017-19(जी.)/16

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उ0प्र0, लखनऊ।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना/साची
चतुर्थ तल, नव चेतना केन्द्र,
10, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 05 सितम्बर, 2017

विषयः-राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को आकस्मिक/अप्रत्याशित व असाध्य रोगों की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु ''पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना'' के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

कृपया राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति/आकस्मिक/अप्रत्याशित व असाध्य रोगों के इलाज के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु “पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना” के सम्बन्ध में निर्गत अधिसूचना सख्या-2275/5-6-11-1082-87 दिनांक 20.09.2011, अधिसूचना संख्या-474/ पॉच-6-14-1082/87-टी.सी., दिनांक 04.03.2014 एवं अधिसूचना संख्या-365/2016/3124/पांच-6-2016-19जी0/2016, दिनांक 27.12.2016 तथा शासकीय पत्रांक-99/986/पॉच-6-2017-19 (जी0)/2016, दिनांक 23.05.2017 एवं पत्रांक-3147/पॉच-6-2016-1082/87टी0सी0-1, दिनांक 30.12.2016 का संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि “पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना” के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना/शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ ही साथ निम्नानुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।

(1)- शासनादेश संख्या-3147/पॉच-6-2016-1082/ 87टी0सी0-1, दिनांक 30.12.2016 द्वारा नामित नोडल एजेन्सी ”उ0प्र0 स्वास्थ्य बीमा कल्याण समिति“ प्रचलित नाम साची (स्टेट एजेन्सी फार काम्प्रहेन्सिव हेल्थ एण्ड इन्टग्रेटेड सर्विसेज) द्वारा प्रश्नगत योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई, इटावा, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ जैसे संस्थानों में कैशलेस (निःशुल्क) उपचार के पश्चात् उनके बिलों का भुगतान वास्तविक व्यय (as per actuals) के आधार पर किया जायेगा, क्योंकि इन संस्थानों में ट्रीटमेन्ट प्रोसीजर्स एवं जांचों के रेट निर्धारित होते हैं एवं उनकी बिलिंग व भुगतान की प्रक्रिया सॉफ्टवेयर आधारित है। इन संस्थानों में सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों/पेंशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सांची से प्रस्ताव प्राप्त कर पृथक ‘कार्पस फण्ड’ की अग्रिम व्यवस्था की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3)- योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों यथा-संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ, ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई, इटावा, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा अन्य ऐसे संस्थानों को अनुबन्धित किया जायेगा। इनके अतिरिक्त सी0जी0एच0एस0 अनुबन्धित निजी चिकित्सालयों को भी योजनान्तर्गत चिन्हित करते हुए अनुबन्धित किया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत सी.जी.एच.एस. से अनुबन्धित चिकित्सालयों के अतिरिक्त यदि किसी अन्य चिकित्सालय को इस योजना से अनुबन्धित किये जाने का औचित्य पाया जाता है तो इस पर वित्त विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(4)- योजना का बजट शासन द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के निर्वतन पर रखा जायेगा, जो उनके माध्यम से सांची के खाते में अग्रिम के रूप में स्थानान्तरित किया जायेगा। लाभार्थियों के उपचार के उपरान्त चिकित्सालयों के बिलों के सत्यापन का कार्य क्लेम सेटलमेंट एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा, जिसके पश्चात् साची द्वारा बिलों का भुगतान संबंधित चिकित्सालयों को नियमानुसार किया जायेगा। भुगतान के उपरान्त संबंधित प्रपत्र/बिल/बाउचर्स महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 को सांची द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराये जायेगे, जिसके आधार पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ साची को निर्गत की गयी अग्रिम की धनराशि का नियमानुसार समायोजन करते हुए अग्रिम धनराशि की अगली किश्त अविलम्ब निर्गत करेंगे।

(5)- कैशलेस व्यवस्था लागू होने के उपरान्त इस मद में आने वाले व्ययभार की वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक 03 माह में समीक्षा भी की जायेगी।

(6)- "क्लेम सेटेलमेंट एजेंसी" का चयन कंसलटेन्ट द्वारा तैयार की गई आर0एफ0पी0 के आधार पर किया जायेगा। चूंकि योजना का संचालन सॉफ्टवेयर/आई0टी0 आधारित है, अतः राज्य सरकार की आई0टी0 कम्पनियों यथा-यू0पी0डेस्को, यू0पी0एल0सी0, अपट्रॉन एवं श्रीटॉन इण्डिया लि0 के माध्यम से कंसलटेन्ट का चयन महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 द्वारा किया जायेगा।

(7)- चयनित कंसलटेन्ट द्वारा योजना का विस्तृत प्रारूप तैयार करने, समस्त स्टेक होल्डर्स के कार्य एवं दायित्वों का निर्धारण, आवश्यक मानव संसाधन का आंकलन, ऑडिट प्रक्रिया, शिकायत निवारण प्रक्रिया एवं योजना के क्रियान्वयन हेतु अन्य आवश्यक गतिविधियों की रूप रेखा तैयार की जाएगी। कंसलटेन्ट द्वारा 'क्लेम सेटेलमेन्ट एजेन्सी' के कार्य एवं दायित्व (Scope of Work) भी तैयार किये जायेंगे।

(8)- कंसलटेन्ट द्वारा 'क्लेम सेटेलमेन्ट एजेन्सी' के चयन हेतु तैयार किये गये निविदा प्रपत्र एवं अनुबन्ध का अनुमोदन प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा। अनुमोदित निविदा प्रपत्र के आधार पर 'क्लेम सेटेलमेन्ट एजेन्सी' का चयन महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

(9)- राज्य कर्मचारियों एवं पेशनर्स को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु नामित नोडल एजेन्सी द्वारा इस हेतु निर्धारित बजट का 05 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय के रूप में दिये जाने का जो प्रस्ताव मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (साची) द्वारा किया गया है, वह वास्तविक व्यय के आधार पर अथवा निर्धारित बजट का 05 प्रतिशत

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

जो भी कम हो, के आधार पर अनुमन्य होगा तथा प्रशासकीय व्यय के रूप में उपलब्ध करायी जाने वाली धनराशि की प्रत्येक वर्ष वित्त विभाग द्वारा समीक्षा भी की जायेगी।

(10)- "प्रशासनिक मद" में कार्यालय व्यय, संविदा पर नियुक्त कार्मिकों का वेतन, योजना का प्रचार-प्रसार तथा अन्य समस्त प्रशासनिक व्यय सम्मिलित होंगे। कार्यालय स्थापना हेतु स्थान चिन्हित करने एवं किराये पर लेने हेतु उ0प्र0 स्वास्थ्य बीमा कल्याण समिति (साची) को अधिकृत किया जाता है।

(11)- योजना हेतु आवश्यक मानव संसाधन का संविदा पर चयन एवं उनका मानदेय निर्धारित करने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें के अनुमोदनोपरान्त "उ0प्र0 स्वास्थ्य बीमा कल्याण समिति" (साची) द्वारा किया जायेगा।

(12)- योजना के संचालन हेतु "उ0प्र0 स्वास्थ्य बीमा कल्याण समिति" साची द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंक में पृथक खाता खोलकर योजना हेतु शासन अथवा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त धनराशि को इस खाते में जमा कर आवश्यकतानुसार व्यय किया जायेगा।

(13)- योजना का वार्षिक वित्तीय एवं परफार्मेन्स ऑडिट वित्त विभाग से प्राप्त परामर्शानुसार कराया जायेगा।

(14)- योजनान्तर्गत लाभार्थियों की संख्या अधिक होने के दृष्टिगत संगत अभिलेखों का संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी किया जायेगा।

(15)- योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ होने से पूर्व पंजीकरण सम्बन्धी समस्त डाटा "उ0प्र0 स्वास्थ्य बीमा कल्याण समिति" साची के क्लाउड सर्वर पर होस्ट करने एवं वेबसाइट के ऑडिट के पश्चात् Beneficiary Database तथा Authentication Module सहित अन्य डाटा एन0आई0सी0 सर्वर पर स्थानान्तरित किया जायेगा।

(16)- योजना के सफल संचालन हेतु समस्त स्टेक होल्डर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश (Advisory) समय-समय पर महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें /उ0प्र0 स्वास्थ्य बीमा कल्याण समिति (साची) द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

3- कृपया तद्नुसार योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में उक्त निर्देशित बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-वित्त ई0-3-1077/दस-17 दिनांक 01 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय
प्रशान्त त्रिवेदी
प्रमुख सचिव

संख्या-115/2017/2013(1)/पांच-6-17-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निदेशक (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2. वित्त नियन्त्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अवधेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in